

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शेखर...

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

श्री श्री श्रीमान

(25)

पत्रांक-प्र04वि0र0-04/2001

1244

खा0,पटना-15, दिनांक - 3.4.2007

प्रेषक,

दयाशंकर बहादुर
सरकार के उप सचिव,

450
198
28/4/07

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 तथा तत्सम्बन्धी संशोधन आदेश 2004 के तहत अनुज्ञप्ति शुल्क नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा शीर्ष ।

महाशय,

आप भलीभाँति अवगत है कि जनवितरण प्रणाली के अधीन राज्य के उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित समस्त कार्यकलाप अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश 2004 के तहत है । तत्सम्बन्धी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 601 दिनांक-15.02.2007, ज्ञापांक 2399 दिनांक-21.07.2006 तथा ज्ञापांक 1728 दिनांक-25.05.2006 का कृपया संदर्भ किया जाय । उक्त अधिसूचना दिनांक-15.02.2007 जो बिहार गजट के असाधारण अंक में जी0 एस0 आर0-1 दिनांक-20 फरवरी 2007 के रूप में प्रकाशित है के कंडिका 2.8 प्रावधान के अधीन अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क की राजस्व एवं प्रप्तियाँ बजट शीर्ष निम्नवत् विकलनीय हे :-

“ मुख्य शीर्ष - 0075 - विविध सामान्य सेवाएँ
लघु शीर्ष - 105 - भूमि और सम्पत्ति की बिक्री
उप-शीर्ष - 004 - जनवितरण दुकान
अनुज्ञप्ति/नवीकरण/ द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क
विपत्र कोड - R0075001050004

अतएव अनुरोध है कि राज्य के जनवितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान के अनुज्ञप्ति/नवीकरण/द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क राशि को उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्बद्ध कोषागार चालान द्वारा जमा सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

Bahadur
3.4.07
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक...236.../आ0दिनांक 18 मई 2007 ई0

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा
18/5/07

S.P. 874528349
10/11/07

302
29/4/07